वर्ष 4, अंक 83 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

अगस्त 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

भारतीय मानसिकता का यह सचमुच अत्यंत खेदजनक प्रकरण है कि जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के पारित होने के बीस वर्ष बाद भी नारी भ्रूणहत्या की ऐसी घिनौनी घटनाएं घटित हो रही हैं जैसे पंजाब में पटियाला के एक प्राइवेट नर्सिंग होम के अहाते में स्थित दो कुंओं से सैकड़ों गर्भपात किए गये नारी भ्रूणों का बरामद होना, यद्यपि उक्त अधिनियम में चयनित गर्भपात निषिद्ध करार दिया गया है और समय-समय पर कई संशोधनों द्वारा अधिनियम को और भी कठोर बना दिया गया है।

इस प्रकार, हमारा जो डर बना हुआ था उसकी पुष्टि होती है कि लड़कियों की रक्षा करने संबंधी विज्ञापनों पर लम्बे अरसे से सरकार द्वारा किया जा रहा व्यय और दो बच्चों के आदर्श को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति का लिंग भेदभाव की गहरी जमी जड़ों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है।

इसलिए, गत बीस वर्षों में भारत में लिंग अनुपात लगभग वहीं के वहीं बना हुआ है। भारत का औसत अनुपात 933 महिलाओं की संख्या के पीछे 1000 पुरुषों का है, जब कि विश्व के अन्य भागों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 5-6 प्रतिशत अधिक है। भारत में, पंजाब में तो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर महज़ 847 है।

चर्चा में — विलुप्त लड़कियाँ

पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में (जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सर्वाधिक है) इस विषम लिंग अनुपात से यह सिद्ध होता है कि यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा और समृद्धि से लिंग अनुपात सुधर जायेगा। इनका उन लोगों की मानसिकता पर जो लड़की की अपेक्षा अब भी पुरुष उत्तराधिकारी को पसंद करते हैं बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

अतः तेज प्रोपेगेंडा की बजाय, जो स्पष्ट रूप से अभी तक प्रभाव नहीं डाल सका है, सरकार को अपनी शक्ति क्रियात्मक कानूनों तथा महिला-उन्मुख बजट-व्यवस्था पर लगानी चाहिए। इस सामाजिक बुराई पर काबू पाने के लिए, प्रोपेगेंडा और प्रोत्साहन की अपेक्षा महिलाओं का महत्व बढ़ाने वाले कानून अधिक प्रभावशाली होंगे।

सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे जमीन तथा जायदाद पर संयुक्त पट्टा लिखे जाने पर ज़ोर देना, लड़कियों के लाभ के लिए आकर्षक सहायता प्रदान करना, महिलाओं द्वारा खरीदी जानेवाली सम्पत्ति पर स्टाम्प डयूटी कम करना, इत्यादि।

परन्तु नारी भ्रूणहत्या तथा शिशु-हत्या को रोकने में, सामाजिक समानता दिलाने वाला महिला सशक्तिकरण कई उपायों में से एक उपाय हो सकता है। अंततः तो पुरुष-प्रधान मनोवृत्ति में बदलाव और लड़की के प्रति सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन ही इस अभिशाप से छुटकारा दिला सकते है।

शाबाश राष्ट्रीय महिला आयोग

सदस्या मालिनी भट्टाचार्य हावड़ा जिले में जयपुर थाना के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक आमटा-II में कुंडलिया गयीं जहां एक वर्ष पूर्व पड़ोस के गांव वालों ने चार अनुसूचित जाति की महिलाओं को बुरी तरह पीटा था जिसके परिणामस्वरूप उनमें से दो की मृत्यु हो गयी थी। इससे पूर्व, सदस्या ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को इस विषय में एक पत्र लिखकर पुरजोर अनुरोध किया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के अंतर्गत उनको तत्काल राहत और पुनर्वास प्रदान कराए जायें। सुश्री भट्टाचार्य लगभग एक वर्ष से लगातार इस मामले में प्रयत्नशील थीं और अब जिला प्रशासन ने मृत महिलाओं के प्रति परिवार को 1,60,000 रुपये तथा प्रति घायल महिला को 15,000 रुपये दिए हैं। वह घायल हुई महिलाओं को देखने गयीं और पाया कि वे अब भी काम पर जाने लायक नहीं हुई हैं। उन्होंने महसूस किया कि 15,000 रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है तथा अधिक राशि दिए जाने की सिफारिश की। परन्तु गांव में रहने वाले पंचायत के एक सदस्य ने उन्हें बताया कि उसने इन महिलाओं के लिए पेंशन का प्रबंध भी कर दिया है। उन दोनों घायलों का इलाज ब्लॉक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सतत हस्तक्षेप के फलस्वरूप ही अंततः राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास की कुछ कार्यवाही की गयी।

मारिया श्रीवर का राष्ट्रीय महिला आयोग में आगमन

केलीफोर्निया के गवर्नर आर्नोल्ड शवर्ज़नेगर की पत्नी सुश्री मारिया श्रीवर हाल ही में आयोग में आयीं और अध्यक्षा गिरिजा व्यास के साथ तीन घंटे बिताये जिस दौरान उन्होंने भारत एवं अमेरिका के बीच समान मुद्दों की पहचान करने की आशा व्यक्त की।

सुश्री श्रीवर ने, जो भारत के निजी दौरे पर थीं, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ औपचारिक रूप से एक बैठक करने का अनुरोध किया था जिसकी व्यवस्था अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने कर दी।

सुश्री श्रीवर का आयोग के सदस्यों से पहला प्रश्न यह था कि क्या भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, जोकि अमेरिका में भी एक बड़ा मुद्दा है।

भारत में नारी भ्रूणहत्या, बाल विवाह तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अन्य समस्याओं को जानकर वह विक्षुब्ध प्रतीत हुईं। जब अध्यक्षा ने उन्हें अ-निवासी भारतीयों के विवाहों में धोखे की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया, तो सुश्री श्रीवर सोचने लगीं कि इस बारे में वह क्या सहायता प्रदान कर सकती हैं, कम से कम केलीफोर्निया में ऐसी महिलाओं के लिए।

परन्तु अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से यह जान कर उन्हें निराशा हुई कि अमेरिका तथा भारत दोनों ने ही हेग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिसमें प्रावधान है कि किसी अन्य देश में रहने वाले पति/पत्नी के विरुद्ध अपने जोड़ीदार को दगा देने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

सुश्री श्रीवर यह जानने को उत्सुक थीं कि भारतीय संसद यौन उत्पीड़न विधेयक कब पारित करेगी और क्या भारत में भी बहुत यौन उत्पीड़न होता है।

सुश्री मारिया श्रीवर आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास से बातचीत करते हुए

महत्वपूर्ण निर्णय

परस्पर समझौते की स्थिति में दहेज का मामला नहीं बनता

● एक महत्वपूर्ण निर्णय में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न संबंधी मामलों में परस्पर समझौता हो जाने की स्थिति में, पति तथा सास-ससुर पर चल रहे फौजदारी के मामले समाप्त किए जा सकते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत दगा, धोखाधड़ी, मानहानि, मारपीट तथा छोटी-मोटी चोरी आदि के मामलों में शिकायतकर्ता एवं आरोपी के बीच समझौता हो जाने पर माफी अथवा राजीनामे की अनुमति का प्रावधान है।

नारी भ्रूणहत्या संबंधी अधिनियम में संशोधन की सिफारिश

● नारी भ्रूणहत्या को रोकने के प्रयोजन से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम तथा नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है।

मंत्रालय चाहता है कि मजिस्ट्रटों एवं डिवीजनल कमिश्नरों को अपने क्षेत्रों में कम पुरुष-महिला अनुपात के लिए उत्तरदायी ठहराया जाये और भ्रूणहत्या पर निगरानी रखने के लिए अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों का एक 'उपयुक्त प्राधिकार' गठित किया जाये।

अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सजा बढ़ायी जानी चाहिए तथा अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों द्वारा किए गये परीक्षणों एवं उनके द्वारा दिये गये आयकर रिटर्न का परस्पर मिलान किया जाना चाहिए।

लड़कियों के लिए सी.बी.एस.ई. की हेल्पलाइन

● स्कूल के बच्चों के बढ़ते हुए यौन उत्पीड़न को दृष्टि में रखते हुए, सी.बी.एस.ई. (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने स्कूलों से छात्राओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने को कहा है। राहत कक्ष के रूप में कार्यवाही करने, रोकथाम के कदम उठाने तथा दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए शीर्ष कार्यालयों एवं समितियों की स्थापना की जायेगी।

बोर्ड ने स्कूलों से दोषियों के साथ सख्ती से पेश आने और कड़ी सज़ा देने को कहा है। यह भी कहा गया है कि तंग करने वाले का नाम और उसे दी गयी सज़ा की सूचना बोर्ड पर लगाकर आम की जानी चाहिए।

राजधानी के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में शीघ्र ही बलात्कार केन्द्रों की स्थापना

● भारतीय चिकित्सा संघ ने यूनीसेफ के सहयोग से राजधानी के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में बलात्कार संकट हस्तक्षेप केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन कॉलेजों में शामिल हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और सफदरजंग अस्पताल।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य 11वीं योजना के परिप्रेक्ष्य-पत्र के मसौदे पर चर्चा करने के लिए कोलकाता में आयोजित योजना आयोग की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए वहां गयीं। विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया, में उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत समिति की अध्यक्षा के साथ बैठक की जिसमें वहां हाल ही में गठित समिति के कार्यक्षेत्र एवं उसके नियमों-विनियमों पर विचार-विमर्श किया गया। बाद में, सियाल्दा में लोरेटा हाउस में सड़क वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही रेनबो प्रोजेक्ट नामक एक शिक्षा परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया।

  जयश्री भास्कर के पति एवं सास-ससुर द्वारा उत्पीड़ित किए जाने तथा उसकी हत्या के प्रयास के मामले की जांच के लिए वह जिला मुर्शिदाबाद में बलरामपुर गयीं। बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से 'निष्ठा' द्वारा बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लेने वह दक्षिणी 24 परगना में पूर्वी विष्णुपुर में जुल्फिया में गयी। एक ऐसा मामला भी घटित हुआ कि जन-सुनवाई में भाग लेने से रोकने के लिए एक लड़की को उसे सास-ससुर वहां से ले गये। बाद में वह लड़की संदेहात्मक परिस्थितियों में मृत पायी गयी। मामला दर्ज करा दिया गया है और उपरोक्त संगठन से संबंधित कागजात सदस्या को भेजने को कहा गया है ताकि मामले पर आगे कार्यवाही की जा सके।

  सुश्री भट्टाचार्य ने मंजरी सेकसरिया के मामले की भी जांच की। उसका कहना था कि उसके पति गौरव सेकसरिया ने उच्च न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की है जो दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के पाठ में छेड़खानी करके दायर की गयी है।

- सदस्या नीवा कंवर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार द्वारा 'अनैतिक व्यापार और एच.आई.वी./एड्स तथा पीड़ितों/जीवित बच गयों की सामाजिक न्याय तक पहुंच' विषय पर इन्दौर में आयोजित एक बैठक में भाग लेने गयीं जिसमें सांसदों, न्यायपालिका के सदस्यों तथा गैर-सरकारी संगठनों ने भागीदारी की।

  सुश्री कंवर ने अनैतिक व्यापार एवं एच.आई.वी./एड्स और अनैतिक व्यापार से छुड़ाए गयों तथा एड्स से जीवित बच गयों को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका के संवेदीकरण पर भाषण दिया। सदस्या मालिनी भट्टाचार्य अनैतिक व्यापार एवं एच.आई.वी./एड्स के पीड़ितों को न्याय पहुंचाने पर बोलीं।

  सदस्या नीवा कंवर ने राष्ट्रीय दक्ष समिति द्वारा शंकर देव कला क्षेत्र ऑडिटोरियम, गुवाहाटी में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक सेमीनार में भाग लिया। असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री कंवर ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझाया और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में जागरुकता शिविर लगाने, जन सुनवाइयां करने तथा पारिवारिक लोक अदालतें आयोजित करने में आयोग की सहायता लेने के लिए महिलाओं का आह्वान किया।

  उन्होंने राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक में भी भाग लिया। राज्य के समाज कल्याण बोर्ड की सहायता से एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे निर्मल आश्रय नामक एक आश्रय गृह का उन्होंने निरीक्षण किया।

  बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एवं सप्तऋषि सर्किल द्वारा आयोजित एक कार्यशाला 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में घटता हुआ लिंग अनुपात' में उन्होंने भाग लिया।

- सदस्या मंजु एस. हेमब्रोम ने *'रीति रिवाज एवं राज्य के कानून में महिलाओं के अधिकार'* विषय पर रांची में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भाग लेने वालों में वकील, आई.ए.एस. अधिकारियों की पत्नियां, कानूनी सलाहकार, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। चर्चा के दौरान, सदस्या ने श्रोताओं को महिलाओं के उत्थान, नारी भ्रूणहत्या को रोकने, चलो गांव की ओर, दहेज अधिनियम और बलात्कार के मामलों के नियम 125 प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारम्भ किए गये कार्यक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि राज्य में अभी तक राज्य महिला आयोग गठित नहीं किया गया है, इसलिए महिलाओं तथा समाज की बेहतरी की दिशा में राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है।

  बाद में वह महिलाओं के एक प्रतिनिधि-मंडल के साथ मुख्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा से मिलीं और उनसे आग्रह किया कि राज्य में महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय महिला आयोग का गठन किया जाये तथा महिला अदालतें स्थापित की जायें।

  सदस्या मंजु हेमब्रोम ने रुड़की जेल का निरीक्षण किया और जेलर सहित सभी अधिकारियों से मुलाकात की। वहां चार महिला बंदी थीं जिनकी समस्याएं उन्होंने सुनीं। उन्होंने कहा कि महिला बंदी बेकार बैठी रहती हैं और सुझाव दिया कि उनकी रुचि के अनुसार जेल परिसर में ही उन्हें रोज़गार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाये। बाद में वह सरकारी अस्पताल गयीं और डॉक्टरों से मिलीं। वहां मरीजों के लिए 150 बिस्तरे हैं। अस्पताल का वातावरण और सुविधाएं संतोषजनक पाई गयीं।

लड़की के जन्म पर सरकारी सहायता

दिल्ली सरकार की योजना है कि इस वर्ष सितम्बर मास से, सरकारी अस्पताल अथवा मेटर्निटी होम में उत्पन्न प्रत्येक लड़की के नाम 5,000 रुपये जमा कराए जायेंगे।

इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में लड़कियों का दाखिला बढ़ाना है। लड़की जब 18 वर्ष की होगी, तो ब्याज सहित उसे यह राशि दे दी जायेगी। किन्तु दीर्घकालीन जमा की यह राशि उसी दशा में भुनाई जा सकेगी जब लड़की नियमित छात्रा के रूप में दसवीं कक्षा तक स्कूल गयी हो।

वित्तीय सहायता की यह योजना एक परिवार में दो लड़कियों तक ही सीमित होगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस योजना के तहत दिल्ली राजधानी क्षेत्र के ऐसे वास्तविक निवासी ही आयेंगे जोकि आवेदन दिए जाने से पूर्व कम से कम पांच वर्ष से दिल्ली में रह रहे हों। माता-पिता को राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान-पत्र आदि के रूप में निवास का प्रमाण-पत्र देना होगा। आवेदन-पत्र लड़की के जन्म के 60 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए और साथ में माता-पिता एवं लड़की की फोटो भी भेजी जानी चाहिए।

आयोग ने कथित 'सती' की रिपोर्ट मांगी

मध्य प्रदेश में सती की एक घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि इस घटना के तथ्यों की यथार्थता जानने के लिए आयोग राज्य के अधिकारियों से सहयोग कर रहा है। यह घटना एक 45 वर्षीय जनजाति महिला जनकरानी से संबंधित है जो कथित रूप से अपने पति की चिता में कूद पड़ी और सागर जिले के तुलसीपुर गांव में उसकी मृत्यु हो गयी।

भ्रूणहत्या के मामले : आयोग त्वरित न्याय चाहता है

पटियाला में पटरान के दो कुओं से 50 से अधिक नारी भ्रूणों की बरामदगी की पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने पंजाब सरकार से नारी भ्रूणहत्य के मामलों का मुकदमा त्वरित-निर्णय न्यायालयों को सौंपे जाने को कहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीक में प्रगति के परिणामस्वरूप, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम ऐसे मामलों से सुलटने में असमर्थ है और उसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बतलाया कि केरल को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इस मामले की पूरी-पूरी छानबीन की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को पाठ्य-पुस्तकों में भ्रूणहत्या पर विशेष अध्याय शामिल करने चाहिए।

दैनिक जागरण के विरुद्ध शिकायत

सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने प्रेस परिषद् का ध्यान *दैनिक जागरण* में छपे बजाज मोटरसाईकिल के विज्ञापन की ओर आकर्षित किया है। आयोग ने बताया है कि इस विज्ञापन से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में वर्जित दहेज को बढ़ावा मिलता है।

विज्ञापन पर विचार करने के बाद, प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने *दैनिक जागरण* के सम्पादक को लिखा है कि इस विज्ञापन में सामाजिक बुराई को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति है। अखबारों को ऐसे विज्ञापन स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे सामाजिक व्यवस्था एवं कानून के प्रावधानों पर आंच आती हो।

अलवर बलात्कार मामले में नये सिरे से जांच की जाये : आयोग

अलवर में एक प्रभावशाली राजनेता के लड़के द्वारा एक नाबालिग लड़की का कथित बलात्कार किए जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नये सिरे से जांच किए जाने का आदेश दिया है।

आयोग ने यह आदेश तब दिया जब पीड़िता ने आयोग में आकर गुहार लगाई कि आरोपी का पिता उसे पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसके पक्ष में बयान देने के लिए डरा-धमका रहा है।

लड़की की बात सुनने के बाद आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने पुलिस महानिदेशक से इस मामले की पुनः जांच करने को कहा।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार, भारत में प्रति आधा घंटा एक महिला का बलात्कार होता है और प्रति 75 मिनट एक महिला की हत्या, बहुधा कम दहेज लाने के कारण, की जाती है; प्रति नौ मिनट पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने की घटना होती है और प्रति 23 मिनट अपहरण और भगाए जाने का मामला होता है।

वर्ष 2004 के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2003 की अपेक्षा 2004 में बच्चों के प्रति अपराधों में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई।

भ्रूणहत्या - आमतौर पर नारी भ्रूणहत्या के मामले 50 प्रतिशत बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अधिक असुरक्षित स्थान है। वर्ष 2004 में, 35 बड़े शहरों में हुए बलात्कार के मामलों में से 30 प्रतिशत मामले दिल्ली में घटे।

बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में, भारत में सज़ा की दर कम है क्योंकि सामाजिक कलंक के डर से महिलाएं बहुधा साफ-साफ बोलने में संकोच करती हैं और पुलिस की जांच-पड़ताल भी निकम्मेपन से होती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाईन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन